संख्या-09/2026/I/1219106/2026/001-71-2099-964-2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 2026

विषय:- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के आई0डी0एच0 परिसर में नवनिर्मित सेन्टर फॉर आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज के निर्माण कार्य से सम्बन्धित माह अप्रैल, 2023 से माह मार्च, 2025 तक जी0एस0टी0 मद में वास्तविकता के आधार पर भुगतान की गई कुल अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8370/योजना अनुभाग/2025, दिनांक 11.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यिम से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में सेन्टंर फार आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज के निर्माण संबंधी प्रायोजना के अनुमोदित लागत रू0 8610.94 लाख + जी0एस0टी0 के सापेक्ष समस्त अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष परियोजना पर अवशेष माह अप्रैल, 2023 से माह दिसम्बर 2023 तक (रू0 2,92,40,609.00) एवं माह जनवरी, 2024 से माह मार्च, 2025 तक (रू0 79,81,733.00) वास्तविकता के आधार पर भुगतान की गई जी0एस0टी0 के मद की कुल धनराशि रू0 3,72,22,342.00 (रू0 2,92,40,609.00 + रू0 79,81,733.00) की प्रतिपूर्ति हेतु जी0एस0टी0 का विवरण जी0एस0टी0 चालान/जी0एस0टी0 बी02बी0 फार्म उपलब्ध कराते हुए परियोजना हेतु वास्तविक जी0एस0टी0 के मद की कुल अवशेष धनराशि रू0 3,72,22,342.00 अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में सेन्टर फार आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज के निर्माण संबंधी प्रायोजना के अंतर्गत परियोजना हेतु वास्तविक भुगतान के आधार के पर जी0एस0टी0 के मद की कुल अवशेष धनराशि रू0 3,72,22,342/- (अनुदान संख्या-31 से रू0 29405650/- एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 7816692/-) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
5) जी0एस0टी0 के संदर्भ में विद्यमान नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि के आकलन से संतुष्ट हो जाने के उपरांत ही धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6) द्विरावृत्ति से बचने हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य की मदों के अंतर्गत कोई अन्य 'कर' का भुगतान नहीं किया गया है।

7) धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,94,05,650 (रुपये दो करोड़ चौरानबे लाख पाँच हजार छह सौ पचास मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 78,16,692 (रुपये अठहत्तर लाख सोलह हजार छह सौ बानबे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-09/2026/I/1219106/2026/001-71-2099-964-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6) वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
7) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8) महाप्रबन्धक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
10) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।